

15/18

पत्रावली केंद्र में देना शुरू। वादीकावाह  
द्वितीय श्रेणी जा रहा है। निर्णय सुनना से आगे  
पत्रावली किया गया। पत्रावली केंद्र में सुनना शुरू  
करने से वहां से देना शुरू। पत्रावली केंद्र में  
देना शुरू।

राजस्थान सरकार

( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम )

( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट )केम्प

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक मिश्र जीना RAS  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम  
सुनील बनारस

दावा बाबत:- 188 R.T. Act

मुकदमा नम्बर:- 45/10

निर्णय दिनांक:- 15.6.2018

वादी की ओर से श्री विवेक मिश्र जीना की व प्रतिवादी की ओर से सुनील बनारस  
की उपस्थिति में आज तारीख 15.6.2018 को श्री विवेक मिश्र जीना ( नाम पीठासीन अधिकारी ) के समक्ष अन्तिम

निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - वादी का दावा उपखण्ड

डिग्री किया जाता है कि उपरोक्त बचत सं. नं. 1918/0.57 के अन्तर्गत वादी द्वारा  
कोटकासिम उपखण्ड अधिकारी के वादी का दावा डिग्री किया जाता है कि वादी के  
कोटकासिम उपखण्ड अधिकारी के वादी का दावा डिग्री किया जाता है कि वादी के  
कोटकासिम उपखण्ड अधिकारी के वादी का दावा डिग्री किया जाता है कि वादी के  
कोटकासिम उपखण्ड अधिकारी के वादी का दावा डिग्री किया जाता है कि वादी के

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।  
यह आज तारीख 15.6.2018 को मौ हस्ताक्ष से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

श्री विवेक मिश्र जीना RAS

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम